

# कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर छ.ग. शिक्षा विभाग

दूरभाष क्रमांक 07781-299218 ई-मेल deonpr74@gmail.com

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक / 106 / पी.एस.सी कोचिंग / 2026-27

नारायणपुर, दिनांक 29/05/2026

कलेक्टर, जिला नारायणपुर के अनुमोदन उपरांत पी.एस.सी / व्यापम कोचिंग हेतु विषय विशेषज्ञ (शिक्षक) एकमुश्त मानदेय राशि पर प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कराने हेतु प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक / 8846 / कोचिंग / 2025-26 नारायणपुर, दिनांक 17.03.2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किया गया था। उक्त प्राप्त आवेदन को परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु दिनांक 29.06.2026 को आयोजित किया गया।


उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक / 8846 / कोचिंग / 2025-26 नारायणपुर, दिनांक 17.03.2026 के भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार 01 पद के लिए 5 अभ्यर्थियों उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विषयों का साक्षात्कार निरस्त करते हुए आगामी साक्षात्कार दिनांक 12.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड के माध्यम से वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए बुलाया जावेगा।

अतएव साक्षात्कार संबंधित विस्तृत जानकारी जिला नारायणपुर के वेबसाईड [www.narayanpur.gov.in](http://www.narayanpur.gov.in) एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर के सूचना पटल में देखा जा सकता है।

टीप :- साक्षात्कार में पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड के माध्यम से साक्षात्कार लिया जावेगा।

विषय का नाम :-

1. हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा।
2. सामान्य अध्ययन विशेषज्ञ।
3. अंग्रेजी भाषा।
4. सी-सेट एवं विज्ञान विशेषज्ञ।  
(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)


  
डिप्टी कलेक्टर एवं  
नोडल अधिकारी कोचिंग  
जिला नारायणपुर

पृ0क्रमांक / 1062 / पी.एस.सी कोचिंग / 2026-27

नारायणपुर, दिनांक 29/05/2026

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि नारायणपुर के वेबसाईड में अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. सहायक संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कर लेख है कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करे।
6. सूचना पत्र में चर्या हेतु।

  
डिप्टी कलेक्टर एवं  
नोडल अधिकारी कोचिंग  
जिला नारायणपुर